

न्यायालय इति जिला कलक्टर (प्रथम) कोलकाता
 उद्देश्यः - धारा 112 उपरोक्त कर्म के काम समाप्त करके
 प्रमाण 12/20/2020, ता. निर्णय 01-09-2022

तारीख हुकम

रम या कार्यवाही मय इतिचिपल्स जय

नम्बर व तारीख
 अहकाम बा. इस
 हुकम की बालीम
 में जारी हुए

1-9-2022 आज परावली पेशे डी कलक्टर उपस्थित
 वही वी कार-वार जाकामे सिमाफी जमी मेरिग
 वीरि उपस्थित वही डका। जमीन जमीनार अफ-
 राफो इफम परकी मे खासिय वी पागी है। आदेकवा
 वी प्रमाण प्रती तदप्र अफामर वी तदत रिजेड डी
 साथ लो राई पावे परावली फौजाल मुकाली नम्बर
 से कक वी पावल कडत मरीन दागीन पका रिजेड
 धी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
 अलवर (राज०)

न्यायालय इति चित्त वल्लभ (प्रथम) कलकत्ता
 उन्नाव - धारा 114 उपेक्षा के अन्तर्गत जमानत का अर्ज
 प्रारम्भ 12/20/2020, तां निर्णय 01-09-2022

नम्बर व तारीख
 अहकाम का इस
 हुक्म की तालीम
 में जारी हुए

तारीख हुक्म

वम या कार्यवाही मय इतिशयल्य जष

1-9-2022

आज पचासवीं पेज की वकलात उपस्थित
 वही वी वार-वार आवासे दिमाफी जमी मेरिका
 वीरि उपस्थित वही इका। जमीन जमीनार अक्ष-
 राफते अक्ष परवी मे खारिज की जागी है। आदेशिका
 की प्रमाणित प्रति तदनु अदालत की तदत रिपोर्ट के
 साथ लोहाई जावे। पचासवीं फौजाल मुकाला नम्बर
 से एक की फावर नदत वहीन। सांगित। जका रिपोर्ट
 धी)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
 अलवर (राजग)